न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 25 / 2019

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–
अशोक कुमार पुत्र ईश्वरदास जाति सिन्धी निवासी महावीर नगर बाड़मेर (मैसर्स लक्ष्मी किराणा स्टोर महावीर नगर बाडमेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(i) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री अशोक कुमार अप्रार्थी स्वंय उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 16.12.2019

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (i) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स लक्ष्मी किराणा स्टोर, महावीर नगर बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक **27.09.2018** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **घी (खुला)** जो कि एक टीन मे करीब 10 कि0ग्रा0 रखा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **800 ग्राम घी (खुला)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–951** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी (खुला)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी (खुला)** का नमूना **असुरक्षित खाद्य (Unsafe food)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त नमूना की निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर से जांच हेतु निवेदन किया। निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 31.07.2019 के

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

द्वारा उक्त नमूना को **अवमानक (Sub-standard)** बताया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (i) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया, जिस पर प्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ तथा जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दण्ड के बिन्दु पर नरम रूख अपनाये जाने का निवेदन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 12.10.2018 पर अप्रार्थी की प्रार्थना पर पुनः निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर से जांच करवाई गई, जिसमे उक्त नमूना अवमानक स्तर का पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी का यह प्रथम अपराध हैं तथा लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार कर क्षमा चाहता है तथा भविष्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सम्पूर्ण प्रावधानों की पालना के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की गई। इस अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना अवमानक पाये जाने के तथ्य साबित है एवं अप्रार्थी ने इसे स्वीकार किया है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (1) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी के विरूद्ध दोषसिद्ध किया जाता हैं। यद्यपि खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है, किन्तु अप्रार्थी ने लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति प्रस्तुत करते हुए भविष्य मे इस अपराध की पुनरावृति नही किये जाने का वचन दिया है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध इस प्रथम अपराध प्रकरण मे सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कारित अपराध के लिए अधिनियम की धारा 51 के रूपये 10000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राकेश कुमार शर्मा)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma
Date: 2020.02.01 14:00:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: